निष्पक्ष और पारदर्शी होना

लेखक - नवीन बी.चावला (पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त)

यह आलेख सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र-II (शासन व्यवस्था) से संबंधित है।

द हिन्दू

22 अप्रैल, 2019

"वर्तमान में हो रहे चुनावों के बाद, चुनाव आयोग को अभियान के वित्तपोषण सहित कई मुद्दों का जायजा लेना होगा।"

2019 के आम चुनाव के दो चरण पूरे हो चुके हैं। 543 संसदीय क्षेत्रों में से 186 में मतदान समाप्त हो चुका है। तमिलनाडु के वेल्लोर में मतदान, भ्रष्ट आचरण के कारण रद्द कर दिया गया है। 23 मई को चुनाव के सभी सात चरणों के लिए मतगणना शुरू होंगी, फिलहाल अभी पाँच चरण का मतदान बाकी हैं। सभी चरणों को पूरा करने का कारण यह है कि किसी एक चरण का परिणाम उन विकल्पों को प्रभावित नहीं करेगा जिसका चयन मतदाता करेंगे।

भारत के चुनाव आयोग (ईसी) में साढ़े पांच साल तक सेवा देने के दौरान (लेखक), मैंने 2009 का आम चुनाव संपन्न कराया था, मुझे (लेखक) अंदर के काम काज की जानकारी है, लेकिन निजी गुप्त जानकारियाँ मुझे मालूम नहीं है, जो चुनाव आयोग के पास है और जिस पर वे निर्णय लेते हैं।

डार्क पॉइंट्स

जैसा कि मैंने अपनी हालिया पुस्तक, एवरी वोट काउंट्स (Every Vote Counts) में तर्क दिया है कि हमारे चुनावी परिदृश्य की कई नकारात्मक विशेषताएं खराब हो गई हैं। आदर्श आचार संहिता लागू होने के बाद से अभी तक पहले दो चरणों में ही मनी पॉवर ने अपने आप को इतना मजबूत कर लिया कि इसके आंकड़े 2014 में नौ चरणों मेंहुए आम चुनावों में पकड़े गये बेहिसाब नकदी, शराब, सोने-चाँदी और ड्रग्स से भी आगे हो गया है। अभी तक 2,600 करोड़ रु के बेहिसाब धन पकड़े जा चुके है।सबसे निराशाजनक रूप से, इसमें गुजरात में ड्रग्स के बड़े पैमाने परतस्करी शामिल है। उत्तर प्रदेश में शराब को लेकर हाहाकार है। तमिलनाडु ने अवैध नकदी (514 करोड़ रूपए) की सबसे बड़ी बरामदगी देखी गयी है।

मतदाताओं को रिश्वत देने या प्रभावित करने के इरादे से खर्च की गई ये विशाल रकम कई चीजें साबित करती हैं। जिसमें पहला यह है कि ये रकम निश्चित रूप से वर्तमान अवैध खर्च के हिमशैल के एक सिरे जैसा है। समस्या यह है कि कितने पैसे, शराब या मुफ्त के अवैध सामानों के थोक अपने गंतव्य तक पहुंच गए होंगे। दूसरा, राजनीतिक लोगों ने चुनावों की घोषणा से पहले ही चुनाव आयोग के पर्यवेक्षकों और उनकी सतर्कता टीमों से अपने कदमों को अपने गंतव्य तक ले जाने से कई कदम आगे बढ़कर अपने तरीकों को परिष्कृत किया है।

क्या यह 70 लाख की वैधानिक सीमा का मजाक नहीं बनाता है, जो प्रत्येक लोकसभा उम्मीदवार की चुनाव खर्च सीमा के रूप में है?

मुश्किल सवाल

एक देश के रूप में हमें खुद से कुछ कठिन सवाल पूछने की जरूरत है। जब किताब में लिखी प्रत्येक नियम को तोड़ा जा रहा है, जब राजनीतिक दलों में अपने धन को एकत्र करने या खर्च करने की कोई पारदर्शिता नहीं है, जब हर एक मामले में उम्मीदवार की खर्च सीमा पार हो जाती है, तो इस पर विचार करने का समय आ गया है कि क्या हमें अपनी नियम पुस्तिका की पुनः जाँच करने की आवश्यकता है? चुनावों की देखरेख के लिए, चुनाव आयोग को केंद्र और राज्यों में अपने सामान्य कार्य की कीमत पर उनके मंत्रालयों और विभागों से उन्हें बुलाते हुए पूरी अवधि के लिए 2,000 से अधिक केंद्रीय पर्यवेक्षकों को तैनात करना पड़ा है।

हजारों सतर्कता दस्ते स्थापित किए गए हैं और उन्हें प्राप्त होने वाली सूचनाओं पर कार्य करना चाहिए, यही कारण है कि इस बार बरामद हुए बेहिसाब पैसों ने इस चुनाव को भारत का सबसे महंगा आम चुनाव बना दिया है। अब तो यह अनुमान लगाया जा रहा है

कि यह आंकड़ा 50,000 करोड़ से अधिक तक पहुँच सकता है, जिसमें से अधिकांश अवैध धन होंगे।

इसके अलावा, यह भी अब स्पष्ट है कि चुनावी बॉन्ड, राजनीतिक फंडिंग के वैध और पारदर्शी साधनों को सक्षम करने में बिलकुल उलटा साबित हुआ हैं। इस बात को चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में अपने हलफनामे में खुद माना है।

मेरे अनुभव के आधार पर वित्त पोषण के संबंध में कोई भी गंभीर सुधार चुनाव आयोग से ही होना चाहिए, क्योंकि इसकी संभावना नहीं है कि कोई भी सरकार इस दिशा में पहल करेगी। चुनाव खत्म होने के बाद चुनाव आयोग को जायजा लेना चाहिए। इसमें सभी हितधारकों की एक बैठक बुलानी चाहिए, जिसमें दोनों केंद्रीय और राज्यों के सभी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल शामिल होने चाहिए। लेकिन यह उनके तक ही विशेष रूप से सीमित नहीं होना चाहिए, क्योंकि वे यथास्थिति इसका समर्थन करेंगे या वे आम सहमति तक पहुंचने में असमर्थ होंगे। हितधारकों की सूची में हमारे देश के सर्वश्रेष्ठ संवैधानिक और कानूनी ज्ञाता भी शामिल होने चाहिए।

अपनी पुस्तक में मैंने (लेखक) आपराधिक पृष्ठभूमि के साथ उम्मीदवारों की दोहरी समस्या को भी उठाया है। 16वीं लोकसभा जो अब इतिहास में बदल गई है, लगभग 30% सदस्यों ने अपने अनिवार्य स्व-शपथ पत्रों में उनके खिलाफ दर्ज आपराधिक मामलों की सूची की घोषणा की थी। वे अपनी संपत्ति और अपनी शैक्षणिक योग्यता घोषित करने के लिए भी कानूनी रूप से बाध्य हैं।

यह 2002-2003 में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित दो महत्वपूर्ण आदेशों का परिणाम है,जहाँ एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स ने इस मामले पर दृढ़ता से लड़ाई लड़ी थी। दुर्भाग्य से, इस चुनाव के पहले चरण में, 12% उम्मीदवारों ने घोषणा की कि उनके खिलाफ जघन्य मामले दर्ज हैं, जबकि दूसरे चरण में यह आंकड़ा 11% था। यहाँ यह ध्यान दिया जा सकता है कि इन मामलों में हत्या, हत्या का प्रयास, डकैती, अपहरण और बलात्कार जैसी जघन्य अपराध शामिल हैं।

बढ़ावा देना

चुनाव आयोग द्वारा आदर्श आचार संहिता और उसके प्रशासन का मामला इस चुनाव में सबसे बड़ा मुद्दा रहा है। एक निश्चित पीढ़ी के लोगों के लिए, 10वें मुख्य चुनाव आयुक्त (सीईसी), टी.एन.शेषन - उन्होंने एक बार प्रसिद्ध घोषणा की कि भी 'मैं नाश्ते में राजनेताओं को खाया करता हूँ (he ate politicians for breakfast)', ने देश को जागरूक बनाया और सभी के लिए एक समान स्तर का निर्माण किया, जैसा पहले कभी नहीं था। उन्होंने चुनाव आयोग को याद दिलाया कि उनके पास संविधान के अनुच्छेद 324 में निहित शक्तियां प्राप्त हैं और ये शक्तियां इतनी ताकतवर है कि यकीनन इतने शक्तियों वाला कोई अन्य चुनावी प्रबंधन निकाय नहीं है।

मैंने चुनाव आयुक्त के रूप में अपने वर्षों के दौरान यह सीखाऔर ये वे शक्तियां हैं, जिनका मैंने 2009 में 15वें आम चुनाव के दौरान प्रयोग किया था; मैं तीन कांग्रेस शासित राज्य सरकारों और एक कांग्रेस सहयोगी का भी सफलतापूर्वक सामना करने में सक्षम था। उनमें से एक ने यह घोषणा करने के लिए एक विशेष प्रेस कॉन्फ्रेंस भी बुलाई कि उनकी सरकार चुनाव आयोग की 'मनमानी' के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाएगी, लेकिन मुझे व्यक्तिगत रूप से इसके परिणाम के बारे में कोई चिंता नहीं थी।

जिस बिंदु को मैं अपने अनुभव के आधार पर बताना चाहता हूं, वह यह है कि चुनाव आयोग की शक्तियां इतनी अधिक और इतनी व्यापक हैं कि वे चुनाव की अवधि के दौरान सभी चुनाव संबंधी मुद्दों में कार्यपालिका की शक्तियों को पार कर सकते हैं। बेशक, इनका विवेकपूर्ण, निष्पक्ष और बराबरी से प्रयोग किया जाना चाहिए, जो कम से कम इसलिए नहीं हो क्योंकि हर फैसले का विश्लेषण देश के हर घर, हर गली-नुक्कड़ और हर ढाबे में किया जाता है,बल्कि इसलिए हो क्योंकि चुनाव आयोग का फैसला निष्पक्ष और पारदर्शी होना चाहिए। सीईसी बनने से पहले के वर्षों के दौरान, मैं भाग्यशाली रहा क्योंकि मैं जब भी श्री शेषन से सलाह लेने के लिए मिला उन्होंने मुझे सलाह दी। परिणामस्वरूप मुझे कभी भी प्रक्रिया शुरू होने के बाद कोई समस्या नहीं आई।

अगर इस चुनाव में मेरे लिए तालियां बजाने के लिए कुछ है, तो वह यह है कि इस बार दो राजनीतिक दलों ने33%से अधिक महिला उम्मीदवारों का चयन किया गया है अर्थात ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस ने 42 लोकसभा सीटों के लिए 41%सीटें आरक्षित की है और नवीन पटनायक की बीजू जनता दल ने 21 लोकसभा सीटों के लिए 33%सीटें आरक्षित की है। वर्षों के पितृसत्ता के बाद, इन दलों ने महिलाओं को राजनीतिक रूप से सशक्त बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है।

चुनाव सुधार

चर्चा में क्यों?

- हाल ही में एक एनजीओ ने अपनी याचिका में इस स्कीम की वैधता को चुनौती देते हुए कहा था कि इस स्कीम पर रोक लगाई जानी चाहिए या फिर इसके तहत डोनर्स के नामों को सार्वजनिक किया जाना चाहिए।
- सुप्रीम कोर्ट ने इस याचिका पर फैसला देते हुए राजनीतिक दलों से 30 मई तक चुनावी बॉन्ड के माध्यम से दान करने वालों का विवरण, उनसे प्राप्त राशि, प्रत्येक बॉन्ड पर प्राप्त भुगतान आदि का विवरण चुनाव आयोग को देने को कहा है।
- इसके बाद से चुनाव के निष्पक्ष और पारदर्शी होने पर बहस फिर से शुरू हो गयी है।

चुनाव सुधार की जरूरत

- क्षेत्रफल के हिसाब से दुनिया के सातवें बड़े देश और दूसरी सबसे अधिक आबादी वाले देश में चुनाव कराना बेहद जटिल कार्य है।
- इस प्रक्रिया में लाखों मतदान कार्यकर्त्ता, पुलिस और सुरक्षा कर्मी शहरों, कस्बों, गाँवों और बस्तियों में तैनात होते हैं।
- अभी भी महिलाओं का संसद में समान प्रतिनिधित्व नहीं है। आधी आबादी होने के बावजूद लोकसभा में इनकी उपस्थिति लगभग 12 प्रतिशत है।
- पिछले चुनाव में महिलाओं ने कुछ मतदान केंद्रों का प्रबंधन किया था। इस बार आयोग की योजना महिला मतदाताओं को प्रेरित करने के लिये ऐसे पोलिंग बूथ बनाना है, जिनका प्रबंधन सिर्फ महिला अधिकारियों के हाथों में हो। इन्हें 'पिंक बूथ' नाम दिया गया है।
- इस बार लोकसभा के चुनाव में 18 से 19 वर्ष के बीच की आयु वाले लगभग डेढ़ करोड़ युवा मतदाता होंगे जो पहली बार मतदान करेंगे।
- यह चुनाव आयोग के सामने बिल्कुल नई चुनौती होगी क्योंकि पुराने मतदाताओं की तुलना में यह वर्ग अधिक शिक्षित और तकनीक से लैस है।
- राजनीतिक चुनौतियां
- धन शक्ति।
- बाहुबल।
- अपराधियों का राजनीतिकरण।
- गैर-गंभीर स्वतंत्र उम्मीदवार।
- जातिवाद।
- सांप्रदायिकता।
- राजनीति में नैतिक मूल्यों की कमी।
- सरकार, न्यायालयों और चुनाव आयोग द्वारा किये गए प्रयास
- चुनाव सुधार और समितियाँ।
- दिनेश गोस्वामी समिति – चुनाव सुधार पर।
- वोहरा समिति – राजनीति के अपराधीकरण पर।
- इंद्रजीत गुप्ता समिति – चुनावों के राज्य वित्तपोषण पर बनी।
- एमएन वैंकट चलैया समिति– विधि आयोग, चुनाव आयोग, संविधान की समीक्षा के लिये राष्ट्रीय आयोग की रिपोर्ट।
- वीरप्पा मोइली समिति – शासन में नैतिकता पर बनी।
- एपी शाह समिति– विधि आयोग की रिपोर्ट पर बनी।

पिंक बूथ क्या है?

- चुनाव आयोग ने 2018 में सुधारों के तहत एक और नवीन प्रयोग किया। इसका उद्देश्य था, महिला मतदाताओं को बड़ी संख्या में वोट डालने के लिये प्रेरित करना।
- इन पोलिंग बूथों पर तैनात सभी कर्मचारी जिनमें पीठासीन अधिकारी और मतदान अधिकारी भी शामिल हैं, सभी महिलाएँ होती हैं। यहाँ तक की सुरक्षाकर्मी भी महिलाएँ होती हैं।
- मतदान केंद्रों को गुलाबी रंगों में सजाया जाता है और कर्मचारियों को गुलाबी ड्रेस दी जाती है। इन बूथों का इस्तेमाल कई चुनावों में सफलतापूर्वक किया जाता है।

संभावित प्रश्न (प्रारंभिक परीक्षा)

1. **'पिंक बूथ' के सन्दर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:-**

   1. इसका उद्देश्य महिला मतदाताओं को अधिक संख्या में वोट डालने के लिए प्रेरित करना है।
   2. इस पोलिंग बुथ पर सुरक्षाकर्मी को छोड़कर सभी कर्मचारी महिलाएँ होती है।

   उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सत्य है/हैं?

   (a) केवल 1
   (b) केवल 2
   (c) 1 और 2 दोनों
   (d) न तो 1, न ही 2

Q. Consider the following statements regarding 'Pink Booth'-

1. Its objective is to promote women votes for voting in high number.
2. In this booth all staff except security forces are women.

Which of the above statements is/are correct?

(a) Only 1
(b) Only 2
(c) Both 1 and 2
(d) Neither 1 nor 2

संभावित प्रश्न (मुख्य परीक्षा)

प्रश्नः- चुनाव को निष्पक्ष एवं पारदर्शी बनाने के लिए चुनाव आयोग को किन बिन्दुओं पर ध्यान देने की आवश्यकता है? चर्चा कीजिए।

(250 शब्द)

Q. Election commission needs to focus on which points for conducting fair and transparent election?

(250Words)

नोट : 20 अप्रैल को दिए गए प्रारंभिक परीक्षा (संभावित प्रश्न) का उत्तर 1(b) होगा।

GS World
Committed To Excellence